

BITT POLYTECHNIC

(Approved by AICTE, New Delhi; Affiliated to Jharkhand University of Technology, Ranchi; Recognised by DHTE, Govt. of Jharkhand)



DEPARTMENT OF TRAINING, PLACEMENT, CONSULTING, INNOVATION & RESEARCH (DTPCIR)

BITT-G/NOTICE/2022-23/ 10788

Dated: 16/05/2023

NOTICE

(An Initiative towards Youth Empowerment)

All the students of diploma on Civil Engineering of sessions: 2019-22, 2018-21, 2017-20, 2016-19, 2015-18, 2014-17 are hereby informed that **"BIHAR TECHNICAL SERVICE COMMISSION (BTSC)"** is shortly going to do online/ offline /recruitment/ Apprenticeship/ placement program.



बिहार तकनीकी सेवा आयोग

BIHAR TECHNICAL SERVICE COMMISSION (BTSC)

PARIKSHA is a complete solution for recruitments against vacant posts laying in the Government Departments under Direct or Examination mode PARIKSHA enables candidates for filling application forms & provides complete technical solution to carry out the commission's internal processes viz. publishing of advertisements, sorting and scrutinizing the submitted application forms, scheduling of interviews based on verification of uploaded claim documents and their academic and professional merit & conducting prelim & main examinations for giving the final recommendation to Govt.

The commission adopted the PARIKSHA software in 2015 for inviting application forms from applicants under direct recruitment mode. The Important Features of this system are e-Form, e-Payment, e-Admin, e-Allotment, Admit Card, e- Interview, e- Result, e- Recommendation and e-Communication. PARIKSHA always communicate to Applicants at various stages through e-Communication (i.e. strictly through SMS & email only) and no paper communication is allowed in the commission.

Application Modules

Application Modules of PARIKSHA application are.

1. e-Form

2. e-Payment
3. e-Admin
4. e-Allotment
5. e-Admit Card
6. e-Interview
7. e-Result
8. e-Recommendation

JOB DETAIL:

Job Role: Junior Engineer

Educational Qualification: Diploma in Civil Engineering.

Diploma passing year: sessions: 2019-22, 2018-21, 2017-20, 2016-19, 2015-18, 2014-17.

Stipend: PB – 2, Rs 9300- 34800/-

Job Location: Bihar

Vacancy: Multiple

Last date of online registration is **21/06/2023.**

RECRUITMENT PROCESS:

Online/ offline / Apprentices/recruitment/ placement program

DOCUMENTS REQUIRED (In Joining):

1. PAN Card
2. AADHAR Card
3. 10th /12thMark sheet
4. Board Certificate
5. Diploma Semester wise Mark sheet and Certificate.

NOTE:

- a. The interested students should fill their details at available Link: <https://forms.gle/VseJGghhNs3GkAdq8> on or before 21/06/2023 up to 11:59 PM, for attending the online placement program.
- b. The above notice has been shared from the authentic source like advertisements/print media/newspaper/ journals/recruiters/ public/ private sectors. The aim of the institute is to make an advanced level awareness of the vacancies in public as well as private sectors for recruitments/ placements of diploma students as per company's recruitment policies. The students have to complete the registration process on visiting the company website (career section) or fill up the recruiter's formson their links as well as they have to fill the college registration form in complete manner as per companynorms/HR policies. The recruitment/ placement programs are based on online/ offline tests and interviews conducted by authorized officials. The placements/joining will be only offered to those students who will qualify all the process. The college is helping hand for students and taking best possible efforts for their brighter future. Remember, there is no any shortcuts / easy way to have direct placements. The college is not fully responsible to the students who will not able to get selected in thedesired company.

BITT HELP-DESK: All students are advised to make only WhatsApp messages on BITT helpline WhatsApp No.- 9931080111. Students may send their feedbacks/suggestions/complaints through WhatsApp only. No any call will be entertained on this no. in any cases.

With Best Wishes,
BITTP

For admission/Scholarship/Placement/Start-up/Entrepreneurship/Notices/Any details, Visit URL given as: <http://www.bittpolytechnic.com>



Coordinator, DTTCIR

Copy to,

1. Hon'ble Chairman, BITTGOI
2. Principal
3. Assistant Registrar
4. All HoDs
5. Controller of Examinations
6. Accounts Department
7. Workshops
8. Library
9. Notice Board
10. Website
11. File

BITT POLYTECHNIC

(Approved by AICTE, New Delhi; Affiliated to Jharkhand University of Technology, Ranchi; Recognised by DHTE, Govt. of Jharkhand)

3 YRS. FULL-TIME POLYTECHNIC COURSE

- ▶ MECHANICAL ENGINEERING
- ▶ ELECTRICAL ENGINEERING
- ▶ COMPUTER SCIENCE ENGINEERING
- ▶ CIVIL ENGINEERING
- ▶ ELECTRONICS & COMM. ENGINEERING

- ▶ CLOUD COMPUTING & BIG DATA
- ▶ COMPUTER ENGINEERING & IoT
- ▶ CYBER SYSTEM & INFORMATION SECURITY
- ▶ AI & MACHINE LEARNING

Eligibility: 10th / Matric / JCECEB / Lateral Entry - 12th Sc. (with Maths/I.Sc pass / 10+2 vocation / ITI)

- ▶ BACHELORS'S IN COMPUTER APPLICATION
- ▶ BACHELORS'S OF BUSINESS ADMINISTRATION

BCA: Diploma/10+2/I.Sc/I.Com/I.A. with 45% Marks & Maths, for **Lateral Entry**: University DCA or equivalent
BBA: 10+2/I.Sc/I.Com/I.A. (Minimum 45%, 40% for SC/ST/OBC)



9470193642



9905011011



9931080111



ACADEMIC COLLABORATION / ASSOCIATED PARTNER



NEPRG

The NEPRG is based on cutting-edge research, placement & Growth in the World class companies across the world in multiple disciplines of Education.



BITT NATIONAL YOUTH PLACEMENT CELL (BNYPC)

(An Initiative towards Youth Empowerment)
is conducting EMPLOYMENT POOL CAMPUS DRIVE of



CAMPAIGN
SMILING BITT
मुस्कान विश्वास का

बेटियाँ अब बोझ नहीं, हर बेटियों का अधिकार, शिक्षा से करें अपने सपनों को साकार, RKSJVSA के तहत विद्या लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना अपने करियर को सफलता के शिखर पर पहुंचाएँ।
हिन्दी, इंग्लिश, कंप्यूटर एवं डिजिटल शिक्षा सभी के लिए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, लड़का-लड़की एक समान। वृक्ष लगाओ-जीवन बचाओ, जशा मुक्त-स्वस्थ भारत, रेज वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, स्टार्ट अप, पीएम ई-विद्या, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर डिजिटल वीआईटी, इंटरनेट, लड़कियों के लिए विद्या लक्ष्मी स्कॉलरशिप, अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, कौशल एवं कुशल रोजगार, कल्याणकारी छात्रवृत्ति योजनाएँ।

BITT POLYTECHNIC: BITT-DEVI DARSHAN ROAD, GETLATU, RANCHI-835217, JHARKHAND (INDIA), PH.: 0651 2273067 / ADMISSION HELP LINE 9905011011 | 9470193650

bittpolytechnic.com | bittgroup.in | /bittpolytechnic | /bitt.goi | /rksvss | /bittpolytechni1 | /BittGroup | /rksvss | 9931080111

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

E-mail Id- btssc-bih@gov.in

Website:- btsc.bih.nic.in
Pariksha.nic.in

सं०सं०-03/परी०-बि०त०से०आ०।/2023.1071

पटना, दिनांक:- 25/4/23

प्रेषक,

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- कनीय अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किये गये विज्ञापन प्रारूप पर सहमति/मंतव्य के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विभाग द्वारा कनीय अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त अधियाचना एवं नियुक्ति नियमावली के आधार पर विज्ञापन प्रारूप तैयार किया गया है।

विज्ञापन प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि आप अपने विभाग के रिक्तियों, अधियाचना एवं नियमावली के शर्तों के आलोक में विज्ञापन प्रारूप में अंकित कुल रिक्तियों एवं कुल रिक्तियों के 60% तथा 40% में विभाजित रिक्तियों का मिलान कर विज्ञापन की कंडिका-01 से 16 तक में वर्णित प्रावधानों का अवलोकन करते हुए विज्ञापन प्रारूप पर सहमति/मंतव्य(यदि हो तो) प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

844
25.4.2023

प्रभारी सचिव

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-...../2023

कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. बिहार सरकार के विभिन्न कार्य विभागों के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अध्यायचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट www.btsc.bih.nic.in पर दिनांक-22.05.2023 से दिनांक-21.06.2023 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अध्यायची विभागों द्वारा प्राप्त कराये गये अध्यायचनानुसार वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं रिक्तियों की विवरणी निम्नलिखित रूप से है:-

पदनाम	वेतनमान	अर्हता
कनीय अभियंता (असैनिक)	PB-2, 9300-34,800/- ग्रेड० पे०- 4600/- वेतन स्तर- 7	(i) अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। (ii) असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है। (iii) तकनीकी योग्यता/अर्हता:- (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा Non-Distance Mode (Regular Course) में निर्गत असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering) में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता (प्रासंगिक विषय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा निर्गत Approval Process Hand Book के अनुसूची शीर्षक "Major Disciplines, their corresponding Courses and Relevant/ Appropriate Branch of Diploma in Engineering and Technology" के अन्तर्गत डिप्लोमा के समकक्ष घोषित पाठ्यक्रम) के डिप्लोमाधारी, अथवा (ख) UGC Act के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित University अथवा Deemed University द्वारा Non-Distance Mode (Regular Course) में निर्गत असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering) में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता में University अथवा Deemed University द्वारा Non-Distance Mode में प्रदत्त डिप्लोमा।

नोट:- अर्हक परीक्षा के प्रमाण-पत्र की समकक्षता के संदर्भ में संशय की स्थिति में विभाग/आयोग द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार से परामर्श प्राप्त कर निर्णय लिया जायेगा।

कनीय अभियंता (असैनिक)												
क्र० सं०	विभाग का नाम	रिक्तियों की कोटिवार विवरणी									रिक्तियां	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के लिए
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	कुल			
1.	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	कुल	519	130	208	13	233	156	39	1298	VH-13 HH-13 OH-13 MH-13	26
			182	39	78	4	86	52	--	441		
		60% (Open)	311	78	125	8	140	94	23	779	VH-08 HH-08 OH-08 MH-08	16
			109	23	47	2	52	31	---	264		
		40% (Bihar)	208	52	83	5	93	62	16	519	VH-05 HH-05 OH-05 MH-05	10
			73	16	31	2	34	21	---	177		

2.	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	कुल	559	140	513	26	559	356	99	2252	VH-14 HH-14 OH-14 MH-14	28
			195	42	84	5	94	56	---	476		
		60% (Open)	335	84	308	16	335	214	59	1351	VH-08 HH-08 OH-08 MH-08	17
			117	25	50	3	56	34	---	285		
40% (Bihar)	224	56	205	10	224	142	40	901	VH-06 HH-06 OH-06 MH-06	11		
	78	17	34	2	38	22	---	191				
3.	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना	कुल	183	45	72	5	82	54	14	455	VH-05 HH-05 OH-04 MH-04	9
			65	13	27	1	30	18	---	154		
		60% (Open)	110	27	43	3	49	32	8	272	VH-03 HH-03 OH-02 MH-02	5
			39	8	16	1	18	11	---	93		
		40% (Bihar)	73	18	29	2	33	22	6	183	VH-02 HH-02 OH-02 MH-02	4
			26	5	11	0	12	7	---	61		
4.	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	कुल	243	58	101	0	118	27	29	576	VH-06 HH-06 OH-05 MH-05	11
			80	18	35	0	41	9	---	183		
		60% (Open)	146	35	61	0	71	16	17	346	VH-04 HH-04 OH-03 MH-03	7
			48	11	21	0	25	5	---	110		
		40% (Bihar)	97	23	40	0	47	11	12	230	VH-02 HH-02 OH-02 MH-02	4
			32	7	14	0	16	4	---	73		
5.	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	कुल	126	31	61	0	71	41	14	344	VH-03 HH-03 OH-03 MH-03	7
			44	9	19	0	22	12	---	106		
		60% (Open)	76	19	37	0	43	25	8	208	VH-02 HH-02 OH-02 MH-02	4
			26	5	11	0	13	7	---	62		
		40% (Bihar)	50	12	24	0	28	16	6	136	VH-01 HH-01 OH-01 MH-01	3
			18	4	8	0	9	5	---	44		
6.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना	कुल	266	67	92	0	145	94	25	689	VH-06 HH-07 OH-07 MH-07	14
			93	20	34	0	46	27	---	220		
		60% (Open)	160	40	55	0	87	56	15	413	VH-04 HH-04 OH-04 MH-04	8
			56	12	20	0	28	16	---	132		
		40% (Bihar)	106	27	37	0	58	38	10	276	VH-02 HH-03 OH-03 MH-03	6
			37	8	14	0	18	11	---	88		
7.	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	कुल	395	99	167	9	204	96	42	1012	VH-10 HH-10 OH-10 MH-10	20
			139	29	59	3	62	32	---	324		
		60% (Open)	237	59	100	5	122	58	25	606	VH-06 HH-06 OH-06 MH-06	12
			83	17	35	2	37	19	---	193		
		40% (Bihar)	158	40	67	4	82	38	17	406	VH-04 HH-04 OH-04 MH-04	8
			56	12	24	1	25	13	---	131		

8.	लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	कुल	130	31	68	4	76	40	13	362	VH-03 HH-03 OH-04 MH-03	5
			44	9	17	1	21	12	---	104		
		60% (Open)	78	19	41	2	46	24	8	218	VH-02 HH-02 OH-02 MH-02	3
			26	5	10	1	13	7	---	62		
		40% (Bihar)	52	12	27	2	30	16	5	144	VH-01 HH-01 OH-02 MH-01	2
			18	4	7	0	8	5	---	42		
कुल योग:-	कुल	2421	601	1282	57	1488	864	275	6988	VH-60 HH-61 OH-60 MH-59	120	
		842	179	353	14	402	218	---	2008			
	60% (Open)	1453	361	770	34	893	519	163	4193	VH-37 HH-37 OH-35 MH-35	72	
		504	106	210	9	242	130	---	1201			
	40% (Bihar)	968	240	512	23	595	345	112	2795	VH-23 HH-24 OH-25 MH-24	48	
		338	73	143	5	160	88	---	807			

नोट:- (i) दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:- VH- दृष्टि दिव्यांग, HH- मूक बधिर दिव्यांग, OH- चलन दिव्यांग, MH- मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग।

नोट:- (ii) (क) 40%(Bihar) से अभिप्रेत है- दर्शाये गये रिक्तियों की संख्या बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित विज्ञापन की कडिका-1(iii) में वर्णित संस्थानों से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेगा।

(ख) 60% (Open) से अभिप्रेत है- दर्शाये गये रिक्तियों की संख्या पर चयन हेतु विज्ञापन की कडिका-1(iii) में वर्णित सभी संस्थानों से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी योग्य पात्र होंगे।

नोट:- (iii) परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. आयु सीमा:- (i) 01.08.2023 को न्यूनतम आयु:- 18 वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमा:-

(a) अनारक्षित:-37वर्ष

(b) अनारक्षित महिला:-40 वर्ष

(c) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला):-40 वर्ष

(d) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष/महिला):-42 वर्ष

आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-13107, दिनांक-20.09.2019 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य हैं।

(iv) कनीय अभियंता अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी। अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्यावधि मान्य होगा, तथा बिहार राज्य में अवस्थित केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में कनीय अभियंता अथवा समान पद पर किया गया कार्यावधि भी मान्य होगा। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-212, दिनांक-23.01.2006 के प्रावधान के आलोक में परीक्षा के आयोजन में विलम्ब की अवधि के लिए भी एक बार अधिकतम उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। अंतिम नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि 01.08.2011 निर्धारित था। अतः वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-01.08.2011 से 01.08.2023 तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे और अद्यतन अन्य अहर्तायें पूरी करते हैं, वे भी योग्य पात्र होंगे।
- (vi) नियमावली के कंडिका-8(2) के आलोक में यदि, कोई अभ्यर्थी कंडिका-(iv) तथा कंडिका-(v) में वर्णित प्रावधानों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट की अर्हता रखता हो, तब उसे उक्त दोनों छूटों के योगफल के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी।

नोट:- जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जा सकेगा।

3. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन के प्रासंगिक कॉलम में आरक्षण का दावा करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
- (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
- (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र
- (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

नोट:-(i) केवल जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

नोट:-(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-673, दिनांक-08.03.2021 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में मी कार्रवाई की जायेगी।

नोट:-(iii) आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

आरक्षित कोटि

क्र० सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)

- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। दावा किये गये कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- (v)(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त संकल्प के Appendix-1 में संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा, जिसे upload किया जाना एवं Online आवेदन के विहित कॉलम में दिव्यांगता का दावा करना आवश्यक होगा। अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।**
- बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2(f) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी। जिस अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के 2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि/निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती, नाती-नतीनी का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।
4. **आवेदन शुल्क:-** Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् है:-

क्र० सं०	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 600/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 150/-
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी)	रु० 150/-

	निवासी)	
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों।	रु० 600/-

- (i) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 600 रूपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 150 रूपया परीक्षा शुल्क देय होगा।

अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग/UPI के माध्यम से Online Mode से ही जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा। **(Note:- Payment of fee shall be accepted through online mode only.)**

ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्ता के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती आवेदन शुल्क (Concessional Application Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निःशक्ता अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से आवेदन शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

5. फोटो पहचान पत्र (Photo ID):-

उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन भरते समय अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या (Aadhar No.) अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट किये गये फोटो पहचान पत्र को परीक्षा/काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

6. चयन की प्रक्रिया:-

- (i) कनीय अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना कर किया जायेगा।
- (ii) संविदा के आधार पर कनीय अभियंता अथवा समान पद पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में किये गये कार्य अनुभव मान्य होगा, तथा संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य में अवस्थित केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्य अनुभव भी मान्य होगा।
- (iii) संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।
- (iv) संविदा के आधार पर कार्यावधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र (संलग्न विहित प्रपत्र में) के आधार पर किया जायेगा। कार्यानुभव के अवधि की गणना दिनांक-**22.05.2023** तक की जायेगी।

7. उक्त के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन निम्न रूप से किया जायेगा:-

- (i) **प्रथम चरण- "लिखित परीक्षा"** - लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न परस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे।

परीक्षा की संरचना:-

- (a) प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 80 प्रश्न कार्यक्षेत्र ज्ञान एवं 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।
- (b) कार्यक्षेत्र ज्ञान (80 प्रश्न) के अन्तर्गत प्रश्न, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (AICTE) द्वारा Diploma in Civil Engineering के 03(तीन) वर्षीय Diploma हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम (Curriculum) के अनुसार पुछे जायेंगे।
- (c) शेष 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पुछे जायेंगे।
- (d) उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में Computer Based Test के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम मानकीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा।
- (e) परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 01 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु (0.25) काटा जाएगा।
- (f) उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की मानकीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा-फल घोषित किया जाएगा।
- (g) मानकीकरण (Normalization) के पश्चात् प्राप्त अंक को मेधासूची तैयार करने हेतु द्वितीय चरण में उपयोग किया जाएगा।
- (h) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

नोट:- लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

(ii) द्वितीय चरण- चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधासूची निम्न प्रकार तैयार की जायेगी:-

a.	लिखित परीक्षा (Computer Based Test) में प्राप्त अंकों की अधिमानता	75 अंक
b.	कनीय अभियंता अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 05 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)।	25 अंक
कुल:-		100 अंक

- (iii) कार्यानुभव के अंक की अधिमानता हेतु अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन के विहित कॉलम में कार्यानुभव का दावा किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित नियंत्री प्राधिकार द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र (संलग्न विहित प्रपत्र में) Upload किया जाना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र में वर्णित कार्यावधि के आधार पर ही संबंधित अभ्यर्थी को कार्यानुभव का अंक देय होगा।
- (iv) वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं कार्यानुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर उक्त अंको एवं आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।
- (v) लिखित परीक्षा के उपरांत कडिका-4(ii) में अंकित प्रावधानुसार अभ्यर्थियों का कोटिवार मेधासूची तैयार कर मेधाक्रमानुसार Counselling हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- (vi) विभाग आवंटन हेतु अधिमानता का चुनाव:-
काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी, विभाग आवंटन हेतु अधिमानता क्रम का चुनाव स्पष्ट रूप से करेंगे। जिस विभाग के लिए अभ्यर्थी द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जायेगी, उस विभाग के लिए बाद में

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही काउंसलिंग के समय दिये गये अधिमानता क्रम में सुधार हेतु किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

- (vii) काउंसलिंग के उपरांत रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:-
- (क) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित विज्ञापन की कंडिका-1(iii) में प्रावधानित संस्थानों से उत्तीर्ण असैनिक डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए कुल रिक्त पदों का 40% पद आरक्षित रहेगा, जिन्हें कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधासूची के आधार पर भरा जायेगा।
- (ख) किसी परिस्थिति में 40% रिक्तियों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियाँ 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेगी।
- (viii) आयोग द्वारा मेधाक्रमानुसार, अभ्यर्थियों द्वारा भरी गयी विभाग आवंटन की अधिमानता एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर आरक्षण कोटिवार विभाग आवंटन कर विभागवार अनुशंसा प्रेषित की जायेगी।

8. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर सभी वांछित प्रमाण-पत्र विहित Column में Upload करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण-पत्र Upload नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (ii) कनीय अभियंता अथवा समान पद पर कार्यानुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा संविदा पर नियोजित होने का वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-I में संलग्न प्रारूप में) निर्गत करने के लिए संबंधित नियंत्री पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे।
9. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
10. ऑनलाइन आवेदन में सभी वांछित प्रमाण-पत्र यथा- Matriculation प्रमाण-पत्र, Diploma प्रमाण-पत्र/औपबंधिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate), Diploma का अंक पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र/अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग का क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र/बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण-पत्र/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र, वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण-पत्रों का संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त सभी प्रमाण-पत्र दिनांक-21.06.2023 तक का निर्गत होना अनिवार्य है।
11. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट का सतत निरीक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.S अथवा E-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।

13. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
14. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाईन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।
15. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
16. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
- ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी रसीद की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा-निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
 - ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपन ही कार्यरत Mobile Number एवं E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number एवं E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।
 - मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
 - इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
 - फोटोग्राफ:-** (क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवायेंगे।
(घ) कंडिका 15(vii)(क)(ख)(ग) में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
 - अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा माँगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

(x) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

नोट:- अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

**प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।**

परिशिष्ट-I

संस्थान/कार्यालय का नाम:-.....

वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र

ज्ञापांक:-.....

दिनांक:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पिता पता

की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश सं०-.....

दिनांक-..... द्वारा संविदा के आधार पर

(पदनाम) के पद पर नियुक्ति के पश्चात

..... (कार्यालय का नाम) में.....

(पदनाम) के रूप में पदस्थापित एवं कार्यरत हैं/थे।

इनके वेतन भुगतान की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कब से (तिथि)	कब तक (तिथि)	कुल अवधि	मासिक वेतन/मानदेय	कुल भुगतेय राशि	अभ्युक्ति
1						
2						
3						
कुल अवधि:-						

कार्यालय मुहर

(हस्ताक्षर)

निर्गत करने वाले नियंत्री

पदाधिकारी का पूरा नाम:-.....

पदनाम:-.....

प्रशासी विभाग का नाम:-.....

नोट:-(i) कार्यरत होने परन्तु किसी कारण से संबंधित अवधि का वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में कार्यरत अवधि का उल्लेख करते हुए भुगतान नहीं होने की विवरणी कारण सहित अभ्युक्ति Column में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दर्ज की जायेगी।

नोट:-(ii)अभ्यर्थी के कार्यावधि का विनिश्चय वेतन भुगतान की अवधि के आधार पर किया जायेगा।